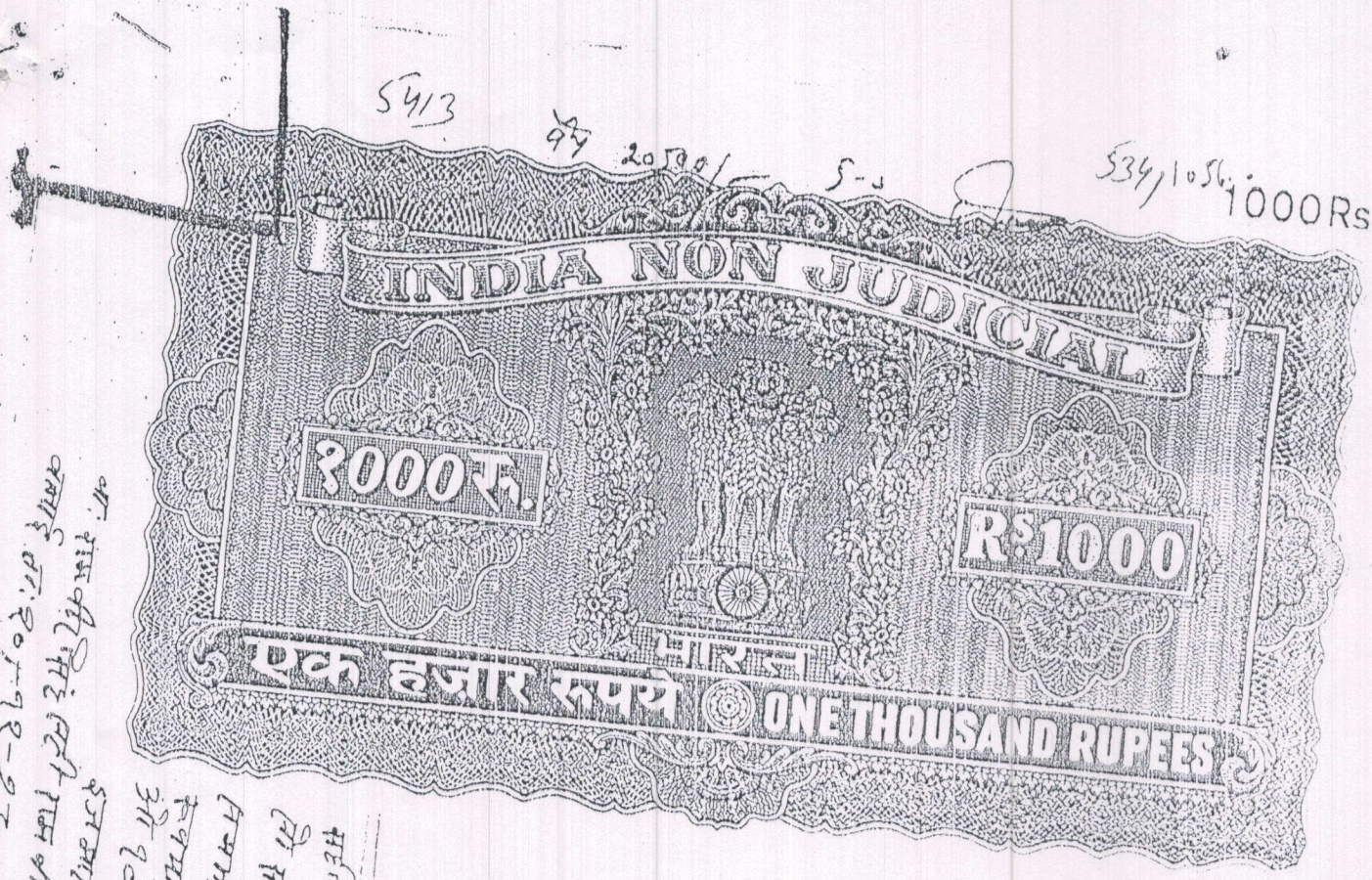
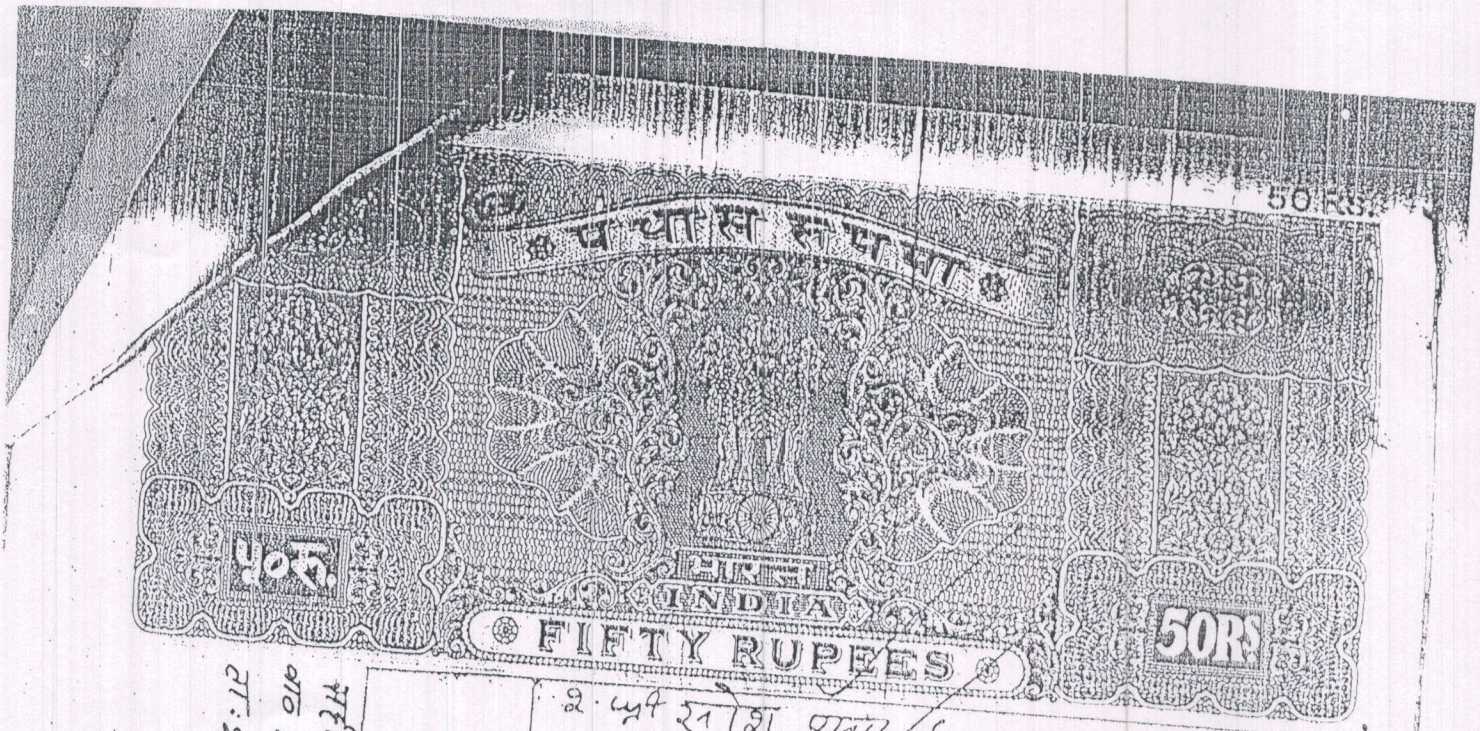

INDIA NON JUDICIAL
₹000 Rs.
Rs 1000
एक हजार रुपये
ONE THOUSAND RUPEES



2-6-26-02:12
अंगूठे का निशान बाएं हाथ

2. श्री रतौरा प्रसाद (बलराम श्री रघुवरी
3. श्री लालन प्रसाद प्रसाद - जीवित
जाति - तेली - पेशा - खानदानी व्यवसाय
साकिन - रसलपुर - पंचायत - फुलवारी थाना -
दानापुर जिला - पटना।

3. क्रय का लेख : विक्रय-पत्र (Deed of Sale)

4. मूल्य : रु० 20,400) बीस हजार पाँच सौ (रुपया
जिसका आधा रु० 10,250) दस हजार दो
सौ पचास रुपये होता है)

5. सम्पत्ति का विवरण : लाट नं-1 अवाजी (42 1/2) डी० साढ़े
बेचालीस डिसमिल जिसका विस्तृत 43.11.2
तेरह छटा खाद्दू चु श्रेणि उपजाऊ जिसका
अधिकार - अक्षत तेली पुश्तैनी खानदानी नौका -
रसलपुर - पंचायत - फुलवारी - अंचल को लेख
रजिष्ट्री - दानापुर (पूर्व रजिष्ट्री के

2-6-26-02:12
अंगूठे का निशान बाएं हाथ



अंचल - दानापुर आलावे - शीर्ष / सह भूमि वृद्धि मोड़ उपजाऊ है जो पक्का एवं कोलतार रोड से अन्दर है मिट्टी मार्टर प्लान्ट से बादा है। दानापुर कार्यालय उपजाधिकारी का शपथ पत्र संख्या 3324 दो 3324 दिनांक 24-12-2020 के अनुसार है मौजा नं - 4423 भाग नं - 22 खाता नं - 924 खेसरा खर्रे प्लॉट नं 2284 2284 से है,

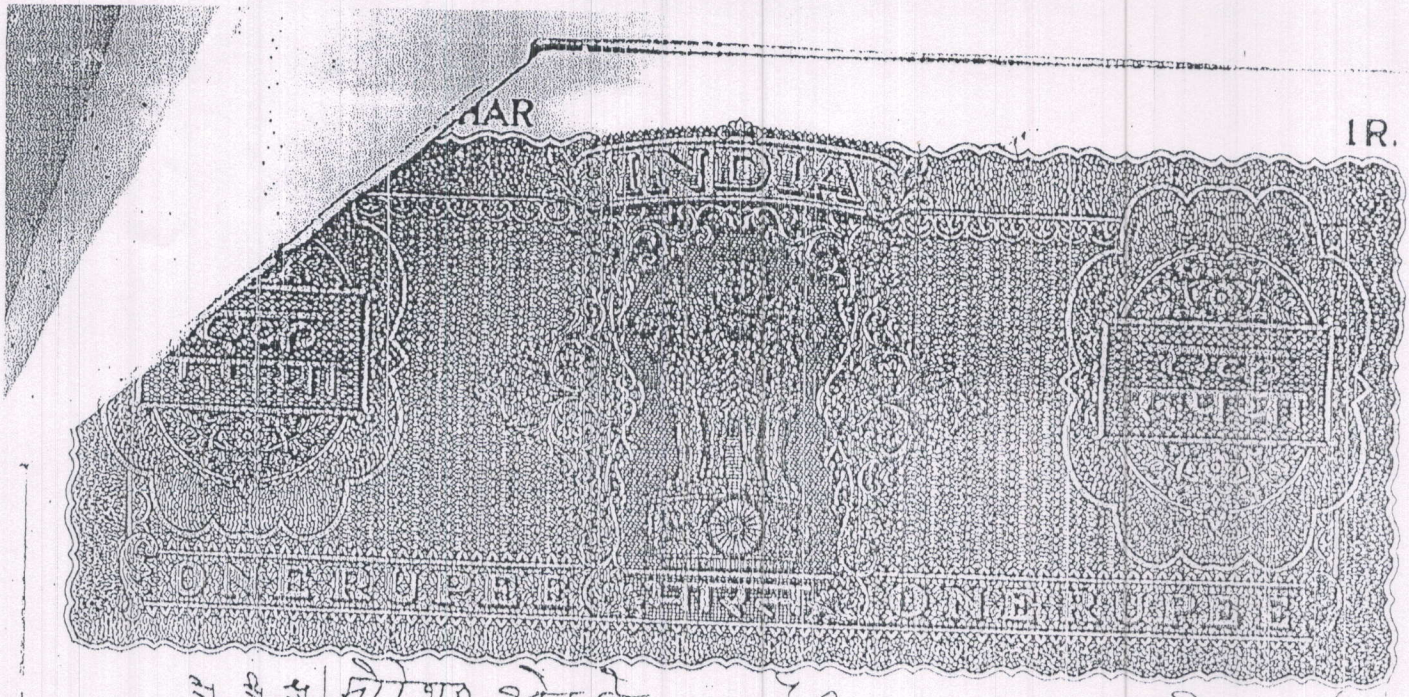
उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
सीवान मोदिन पुर	इंजीनियर बाबू परिवार	- चलाल पालनपान	आगदा सिंह के जिला सिंह का घर

प्लॉट नं-2 मध्यजी 12 कोलकता भूमि उपजाऊ जोलिया - अंचलाधिकारी - दानापुर अंतर्गत दानापुर नगरी वार्ड मोजा - मोदिन पुर - सगता - फुलवारी - थाना दो लेकर - रजिस्ट्री - दानापुर - तथा रजिस्ट्री दो जिला - पटना मौजा नं - 4270 भाग नं - 20 खाता नं - 2912 खेसरा खर्रे प्लॉट नं - 2VV लगान वार्षिक 2.60 जमीन दो कट्ठे जाठ धूर का अनुसूची

Signature of Executant

Signature of Executant

Signature of Executant



सौरेशन कोल के अन्दर ई मिट्टी काटने वाले के बाहरी दफा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता

दण्डादेश कार्यपालक दण्डाधिकारी का प्रार्थना पत्र संख्या - 3324 से 3323 दिनांक 29-12-92 संलग्न है)

वाद: दावा -	प्रतिवादी	पूर्व	पश्चिम
राम उग्रह सिंह	लेंवाना जलालपुर	राम लखन सिंह वाद: दावा	गिरजा सिंह वाद: दावा

विदित हो कि रवानापुर के वर्णित लेखपाल को लोकवाही नं 2 के जन्म के पहले भी एथो राणा सिंह ने अपने चरित्रहीन लोकवाही नं 1 के माफते बदचलनी का लिखकर दावा - पत्रक को अधिकार दे दिया था। बदचलनी नामा मालुमे तारीख 16-1-1992 बही नं 1/2 ई० पत्रिका नं 12० जिल्द नं 3 तीन पेज नं - 125० से 1253 तक 1/2 ई० तक बजरिये दावा पत्र है। तब से लोकवाही ने 1 आना 4 दो हजार के अपने दावा - पत्रक को अधिकार से पेश कर उपरोक्त अते-चले आ रहे कि लोकवाही नं 1 को लोकवाही नं 2 पत्नी राम बली सिंह एकमात्र इन एफिडेविट पुत्र पैदा हुए। जो अपने स्वार्थ के लिये

मालिक - मुलजीम से होश उपयोग करते भले था है
दो लेखपाल गवाह के कहने पर मुकदमा दोई
भी अधिकारी नहीं है खाना ५ दा प्रकार के पाकु
वो साफ दो लेखपालियों को घर बनाने वो तहसील
के उन्हें मुकदमे वो मकान बनाते वो तेरी चलने के
लिए कपड़ों की जरूरत हो इसलिए लेखपाली गवाह
जाना पड़ो बेचने के लिए लोगों के बीच प्रक्रिया
वो उचित मुल्क में खरीदने के लिए लेखपालीगण
राजी वो नेता हो गए इसलिए लेखपालीगण
विक्रय हो जाना पड़ो बेचना इसलिए कहना क्योंकि
इस बीच ले अधिक हुला दोई भी एक्सिडेंट के
राजी वो नेता नहीं हुए / बिना जाना पड़ो बेचने
हुए शीघ्र हो कपड़ों का प्रबन्ध नहीं हो सकता
है

अतः लेखपालीगण ने अपनी पुश्तैनी को बोधित के
अपने देश वो ख्याल में अपने धनि - मान को बढ़ाने
सोचविचार कर अच्छे मानसिक वो बुलंदी से
एक जिलाद लेखन में बिना किसी के डाले अपने
वो ख्यालों में पड़े जाना पड़ो रु० २०,२००/- की
छा पाँचसौ कपड़ों में लेखपालीगण के गाँव
ले बेचा वो बेचकर कुलाचीदिया खरीद

पढ़ लिखकर

इजरा (वसूली) लोचेदारीगण लखनऊ 12-11-1962 ई०

इजलास श्रीमान् लिपिक श्री [illegible] का पक्ष को

मो० 2000) पाँच हजार रुपया लोचेदारी गण है का पत्र

अधीनस्थ पक्षीय [illegible] श्रीमती देवीदिन० रामकीसिंह

अधीनस्थ पक्षीय [illegible] स्वर्गीय पत्नी

अखिलेश्वर [illegible] पुत्री पक्षीय [illegible] गोपालपुर

भला दानापुर पक्षीय को [illegible] पक्षीय [illegible]

लोचेदारी मो० 3000) तीन हजार रुपया का एक रुक्का

पुत्री मो० 2000) दो हजार रुपया का कुल मो०

5000) पाँच हजार रुपया का वसूलयाबी डिक्री का

लोचेदारी स्वर्गीय पत्नी अखिलेश्वर [illegible] के उक्त

लिखाने [illegible]

[illegible] श्रीमती देवीदिन० रामकीसिंह [illegible]

पाल को पक्षीय [illegible] [illegible] [illegible]

पत्नी अखिलेश्वर [illegible] के [illegible]

का लोचेदारी पुत्रगण लोचेदारीगण प्रमाण देकर

अपने पक्ष में लोचेदारी का मो० 10,000) दस

हजार पाँच सौ रुपया इजलास लोचेदारीगण

अधीनस्थ महोदय के लायक [illegible]

इस प्रकार कुल [illegible] [illegible]

दारीगण के [illegible] [illegible]

अधिकार को [illegible] [illegible]

दारीगण को [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

बाकी नहीं है नहीं रहा नहीं रहेगा बल्कि सम्पूर्ण घर को अधिकार तो घर के खाना 4 पर प्राप्त था या 4 विक्रय में प्राप्त होता विवाह लोकधारीगण के प्राप्त हुआ कि मालिक मुख्तकील को अधिकृत होकर अपना नाम हमारे स्थान पर दाखिल किया जाए की - ग़लत न्यायिक मंगाकी पुलिस से पर्ची चुना मेरे इसमें कोई आपत्ति नहीं है नहीं होगा।

अगर खरीदार हमारे पेलाते या किसी तरह की गुप्त धड़ियल से खाना 4 के थोड़ा सा पुराना ले लिया तरह बदखल हो जाये तो एक को अधिकार है मेरा होगा कि उस जगह का रद्द वापस ले दूसरों उस जगह - माल को जगह चल अचल - गाली - बेगाली हर तरह की लम्बाई से मेरा मालिक अदालत बनाये वगैरा लिखित वसूल को बेचकर चला लेंगे। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है नहीं होगा। इसलिए लेकर्ता लिखाये गवाहों के सामने बेनामा विक्रय पत्र लिख दिया कि समय पर काम आवे।

Dated 20th December 19[illegible]